न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 23/2017

अपीलान्ट्स

1. अचलाराम पुत्र स्व0 पीराराम,
2. नारायणराम पुत्र स्व0 पीराराम
3. श्रीमती पेपी देवी पत्नी स्व0 पीराराम
   जातियान जाट, निवासीगण – ग्राम ढाढणियां भायला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. खेमाराम पुत्र तिलाराम
2. गुनाराम पुत्र हेमाराम
3. गोरखाराम पुत्र हेमाराम
   जातियान जाट, निवासीगण – ग्राम ढाढणियां भायला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
4. तहसीलदार बालेसर (तत्कालीन नायब तहसीलदार शेरगढ) जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 228 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 10.01.1980 तहसीलदार बालेसर (तत्समय नायब तहसीलदार शेरगढ), जिला जोधपुर द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा स्वीकृत किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री हापूराम विश्नोई उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से अभिभाषक श्री उम्मेदसिंह बांवरला उपस्थित।
3. रेस्पोडन्ट संख्या 2 व 3 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :–16.12.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 228 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश दिनांक 10.01.1980 तहसीलदार बालेसर (तत्समय नायब तहसीलदार शेरगढ), जिला जोधपुर द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है।

जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलान्ट्स के पति/पिता पीराराम व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदार कृषि भूमि खसरा संख्या 264 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 272 रकबा 70 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 103

बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम ढाढणिया सांसण, पटवार क्षेत्र ढाढणिया सांसण, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगोलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर में आई हुई है। जिस पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। अभी हाल ही में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपने बंट व हिस्से की भूमि में से कुछ भूमि समर्पण कर होटल रिसोर्ट निर्माण प्रारम्भ किया गया, तब अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कहा गया कि आप उक्त भूमि का पहले विधि अनुसार बंटवाड़ा करके निर्माण कार्य करे। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बताया कि अब कौनसा बंटवाड़ा रह गया है, बंटवाड़ा तो कब का हो चुका है और बंटवाड़े के अनुसार सड़क पर सम्पूर्ण हिस्सा मेरा आया हुआ है। तो अपीलार्थीगण ने हल्का पटवारी से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की और तहसील कार्यालय से बंटवाड़े की नकल दिनांक 10.08.2017 को प्राप्त हुई तो अपीलार्थीगण को ज्ञात हुआ कि विवादित भूमि का बंटवाड़ा विवादित ढंग से हो रखा है, जो बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़े की श्रेणी में नहीं आता है, इस कारण उक्त बंटवाड़े को निरस्त करवाया जाना आवश्यक है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट्स अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री उम्मेदसिंह बांवरला ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। तहसीलदार शेरगढ़ को मूल रेकर्ड के लिये लिखा गया। तहसीलदार शेरगढ़ ने अपने पत्रांक क्रमांक/राजस्व/2019/389 दिनांक 20.09.2019 से अवगत कराया कि उक्त बंटवाड़ा की पत्रावली हेतु पुराना रेकर्ड ढूढा गया ढूढने पर भी उक्त बंटवाडा पत्रावली नहीं मिली। अतः उक्त बंटवाड़ा पत्रावली भिजवाया जाना सम्भव नहीं है। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक श्री हापूराम विश्नोई ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलान्ट्स के पति/पिता पीराराम व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदार कृषि भूमि खसरा संख्या 264 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 272 रकबा 70 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 103 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम ढाढणिया सांसण, पटवार क्षेत्र ढाढणिया सांसण, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगोलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर में आई हुई है। जिस पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। अभी हाल ही में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपने बंट व हिस्से की भूमि में से कुछ भूमि समर्पण कर होटल रिसोर्ट निर्माण प्रारम्भ किया गया, तब अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कहा गया कि आप उक्त भूमि का पहले विधि अनुसार बंटवाड़ा करके निर्माण कार्य करे। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बताया कि अब कौनसा बंटवाड़ा रह गया है, बंटवाड़ा तो कब का हो चुका है और बंटवाड़े के अनुसार सड़क पर सम्पूर्ण हिस्सा मेरा आया हुआ है। तो अपीलार्थीगण ने हल्का पटवारी से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की और तहसील कार्यालय से बंटवाड़े की नकल दिनांक 10.08.2017 को प्राप्त हुई तो अपीलार्थीगण को ज्ञात हुआ कि विवादित भूमि का बंटवाड़ा विवादित ढंग से हो रखा है, जो बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़े की श्रेणी में नहीं आता है, अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट को स्वीकार कर उक्त बंटवाड़े को निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक श्री उम्मेदसिंह बावरला ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजूदा अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.1980 के विरूद्ध दिनांक 18.08.2017 को माननीय न्यायालय के समक्ष 37–38 वर्षो पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है जबकि अपील प्रस्तुत करने की अवधि मात्र 30 दिन है। इस तरह अपीलान्ट की अपील स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है। इस कारण म्याद के बिन्दू पर ही अपील काबिल खारिज योग्य है। अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 228 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गलत पेश की है। वास्तव में बंटवाड़े के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत की जानी है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि मौजूद प्रकरण में पिछले 37–38 वर्षों से रेस्पाडेन्ट संख्या 1 विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है, उपयोग व उपभोग कर रहे है। अपीलान्ट के पिता व पति पीराराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति से राजीखुशी वादग्रस्त भूमि का विधि व नियमानुसार दिनांक 10.01.1980 को बंटवाड़ा कर लिया था, बंटवाड़ा के अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। अपीलान्ट के पिता व पति पीराराम ने अपने जीवनकाल में अपीलाधीन बंटवाड़े का कभी भी उजर एतराज एवं विरोध नहीं किया था। पीरारामजी का देहान्त हो जाने के पश्चात् अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट्स को तंग एवं परेशान करने की नियत से झूठे एवं मनगढ़त तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है, जबकि अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध उजर, एतराज करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है, क्योंकि अपीलाधीन बंटवाड़ा अपीलान्ट के पूर्वज पीराराम जी की पूर्ण सहमति एवं उपस्थिति में किया गया था, इस कारण अपीलान्ट्स उक्त बंटवाड़ा से पाबन्द है। इसलिए म्याद आवेदन मय अपील खारिज किया जाना न्यायोचित है।

प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस पर मनन किया। इस अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का विधि अनुसार बंटवाड़ा होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अकृषि प्रयोजनार्थ कार्यालय विहित प्राधिकारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बालेसर जिला जोधपुर के समक्ष निवेदन किया, जिस पर खसरा संख्या 272/1 में से 919.74 वर्गमीटर वाणिज्यक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने का आदेश पारित किया गया, उक्त आवेदन की पालना में जमाबंदी आदि राजस्व अभिलेख खसरा नं0 272/3 रकबा 0.15 दर्ज किया गया, इस तरह बंटवाड़ा होने के पश्चात कुछ किस्म परिवर्तन हो चुकी है तथा वाणिज्यिक भूमि के संबंध में उजर एतराज सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है तथा भारत सरकार की योजनानुसार भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के लिये व बालेसर तक चार लाईन मय पेव्ड शोल्डर निर्माण के लिये वादग्रस्त भूमि का कुछ हिस्सा अवाप्त किया जा चुका है तथा न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा अवार्ड भी जारी किया जा चुका है इस कारण भी अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जाना न्यायोचित है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक उम्मेदसिंह बांवरला ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि उक्त बंटवाड़ा आपसी सहमति से किया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की शुरू से ही भलीभांति जानकारी रही है। आपसी सहमति के बंटवाड़े पर अपीलान्ट के पिता/पति के हस्ताक्षर है जिसे प्रमाणित नायब तहसीलदार शेरगढ़ ने किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 3 अनुसूची के अनुसार सहमति बंटवाड़े के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलान्ट्स के पति/पिता पीराराम व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 की कृषि भूमि खसरा संख्या 264 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 272 रकबा 70 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 103 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम ढाढणिया सांसण तहसील बालेसर संयुक्त खातेदारी की रही है। अपीलान्ट्स के पिता/पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति से बन्टवाडा कर नायब तहसीलदार शेरगढ के समक्ष प्रस्तुत होने पर उसे प्रमाणित किया गया। नायब तहसीलदार ने पक्षकारों की सहमति से विभाजन को प्रमाणित किया। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 228 के तहत अपील पेश की गई है। प्रथमतः धारा 228 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील पेश करने का प्रावधान नहीं है। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क से हम सहमत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत वे ही अपील Lie होती है जिसमें राजस्थान काश्तकरी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि में उल्लेखित प्रार्थना–पत्रों पर अंतिम आदेश पारित किया गया हो। प्रस्तुत प्रकरण आपसी सहमति पर किये गये बंटवारा प्रार्थना–पत्र का उल्लेख नहीं होने से यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत भी Lie नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से एतद् निरस्त की जाती है।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.12.30 18:42:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: